

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(4) वित्त/राजस्व/2024

जयपुर, दिनांक:- 08.10.2024

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित पुर्नरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त सेवा के चयन सेवा संवर्ग में स्थायी रूप से नियुक्त अधिकारी श्री आदित्य देव कविया को वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम 28(ए) के उपनियम 7(सी) के अन्तर्गत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा की सुपर टाईम संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,


(नीलेश शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/II) विभाग।
9. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव